न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180 / 2024

अनवान : –

1. इन्द्रपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. जयनारायण पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी किंकराली तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र श्योकरण जाति ब्राहमण निवासी किंकराली तहसील नोहर।
3. लीलाधर पुत्र श्योकरण जाति ब्राहमण निवसी किंकराली तहसील नोहर।
4. सत्यनारायण पुत्र रामकुमार जाति ब्राहमण निवासी किंकराली तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
7. शाखा प्रबन्धक बैंक नोहर।
8. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा बिरकाली तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 158 / 146 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है लेकिन अप्रार्थीगण वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि को मदाखत बैजा करना चाहते है। अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि में से हरे पेड़ काटने से निषिद्ध रहे एवं इन्ट भटटा को मिटटी विकय करने से निषिद्ध हरे एवं तथा सायल के हक व हिस्सा की भूमि गैरसायलान मदाखलत बैजा न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि... किया गया। रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 158 / 146 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि की अंतरिम ... निषेधाज्ञा विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की विशेष हिस्से का बेचान न करे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है तथा उत्तरदाता ने जरिये बैयनामा धनपत पुत्र श्योकरण से से खरीद की है। अतः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि में काबिज होकर वाद भूमि में से हरे पेड़ काटने एवं इन्ट भटटा को मिटटी विक्रय करना चाहते जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी स0 2 ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है तथा न ही मिटटी का बेचान किया जा रहा है गैरसायल अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज है। अगर अप्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से का बेचान किया जाता है तो प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी एवं कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के खाता स0 158/146 की कुल 12.2670 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थी सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग [illegible] को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज [illegible] अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थी द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता हैं न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थी को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 18.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गंढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:18 IST
Reason: SelfAttested